न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./195/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
गोबरिया उर्फ गोबरराम पुत्र छोगाराम, जाति नाई, निवासी पटाऊ, तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा।	1. चौथाराम वल्द सोनाराम के का. मु.– 1/1. जोगाराम पुत्र स्व. चौथाराम 1/2. गुलाबराम पुत्र स्व. चौथाराम 1/3. सोहनीदेवी बेवा स्व. चौथाराम 1/4. बाबुलाल पुत्र स्व. चौथाराम के का. मु.– 1/4/1. बजरंग पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/2. कांतिलाल पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/3. कालुराम पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/4. सवाईराम पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/5. सुआदेवी पुत्र स्व. बाबुलाल 2. हकमाराम पुत्र अचलाराम के का. मु.– 2/1. भंवरलाल पुत्र हकमाराम 2/2. खेताराम पुत्र हकमाराम 2/3. हरिराम पुत्र हकमाराम 2/3/1. प्रेमादेवी बेवा हरिराम 2/3/2. सीमा पुत्री हरिराम 2/3/3. सरिता पुत्री हरिराम 2/3/4. नीतू पुत्री हरिराम 3. वगताराम पुत्र अचलाराम 4. लालुराम पुत्र अचलाराम के का. मु.– 4/1. ओमाराम पुत्र लालुराम 4/2. पारसमल पुत्र लालुराम 4/3. रमेश पुत्र लालुराम 4/4. मोहनी बेवा लालुराम 5. गोकलराम वल्द अचलाराम 6. पेमाराम वल्द अचलाराम 7. बेनाराम पुत्र सोनाराम के का. मु.– 7/1. शंकरलाल पुत्र बेनाराम 7/2. शांतिदेवी बेवा बेनाराम 8. गिरधारीराम पुत्र सोनाराम के का. मु.– 8/1. नारायणराम पुत्र गिरधारीराम 8/2. गंगाराम पुत्र गिरधारीराम 8/3. उत्तमाराम पुत्र गिरधारीराम 8/4. सुखीदेवी बेवा गिरधारीराम, समस्त जातियान नाई, निवासीयान पटाऊ खुर्द, तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा। 9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/1991 बउनवान चौथाराम बनाम हकमाराम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.1991 के विरूद्ध पेश हुई।

और

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./196/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
गोबरिया उर्फ गोबरराम पुत्र छोगाराम, जाति नाई, निवासी पटाऊ, तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा।	1. चौथाराम वल्द सोनाराम के का. मु.– 1/1. जोगाराम पुत्र स्व. चौथाराम 1/2. गुलाबराम पुत्र स्व. चौथाराम 1/3. सोहनीदेवी बेवा स्व. चौथाराम 1/4. बाबुलाल पुत्र स्व. चौथाराम के का. मु.– 1/4/1. बजरंग पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/2. कांतिलाल पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/3. कालुराम पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/4. सवाईराम पुत्र स्व. बाबुलाल 1/4/5. सुआदेवी पुत्र स्व. बाबुलाल 2. हकमाराम पुत्र अचलाराम के का. मु.– 2/1. भंवरलाल पुत्र हकमाराम 2/2. खेताराम पुत्र हकमाराम 2/3. हरिराम पुत्र हकमाराम 2/3/1. प्रेमादेवी बेवा हरिराम 2/3/2. रीगा पुत्री हरिराग 2/3/3. सरिता पुत्री हरिराम 2/3/4. नीतू पुत्री हरिराम 3, वगताराम पुत्र अचलाराम 4. लालुराम पुत्र अचलाराम के का. मु.– 4/1. ओमाराम पुत्र लालुराम 4/2. पारसमल पुत्र लालुराम 4/3. रमेश पुत्र लालुराम 4/4. मोहनी बेवा लालुराम 5. गोकलराम वल्द अचलाराम 6. पेमाराम वल्द अचलाराम 7. बेनाराम पुत्र सोनाराम के का. मु.– 7/1. शंकरलाल पुत्र बेनाराम 7/2. शांतिदेवी बेवा बेनाराम 8. गिरधारीराम पुत्र सोनाराम के का. मु.– 8/1. नारायणराम पुत्र गिरधारीराम 8/2. गंगाराम पुत्र गिरधारीराम 8/3. उत्तमाराम पुत्र गिरधारीराम 8/4. सुखीदेवी बेवा गिरधारीराम, समस्त जातियान नाई, निवासीयान पटाऊ खुर्द, तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा। 9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

(नवना...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/1991, बउनवान, चौथाराम बनाम हकमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.08.1991 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री भुपेन्द्र गहलोत अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री देवीसिंह उत्तरदाता संख्या 1/1 से 1/3, 1/4/1 से 1/4/5, 2/1 से 2/2, 2/3/1 से 2/3/4 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–26.08.2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/1991 बउनवान चौथाराम बनाम हकमाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.1991 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.08.1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

अपीलांट्स द्वारा दोनों अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा पटाऊ कला तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है। वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पो. संख्या 1 के पिता सोनाराम के वारिसान का 1/5 वां हिस्सा प्रत्येक का रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन गलती से प्रतिवादी सख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 6/अपीलांट के पिता छोगाराम के नाम पर पूरी जमीन दर्ज हो गई, क्योंकि बेनाराम व छोगाराम घर पर बड़े थे व घर का पूरा कामकाज संभालते थे। इस कारण रेकार्ड में उनका नाम दर्ज हो गया व उनकी फौतगी के बाद उनके लड़के अपीलांट गोबरिया के नाम दर्ज हो गया। जिसका पता वादी को नहीं चला। वक्त सेटलमेंट से वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार कब्जा–काश्त करते आ रहे हैं, मौके पर प्रतिवादी द्वारा कभी दखल नहीं किया गया। जिससे उक्त तथ्य की जानकारी वादी को नहीं हो सकी। उक्तानुसार वादी द्वारा 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दर्ज होने के बाद अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही प्रतिवादी सख्या 6/अपीलांट द्वारा किसी कोई राजीनामा पर हस्ताक्षर किये गये और ना ही किसी तरह से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए एकतरफा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी। जो विधि संगत नहीं है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा पटाऊ कला तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है। वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पों. संख्या 1 के पिता सोनाराम के वारिसान का 1/5 वां हिस्सा प्रत्येक का रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन गलती से प्रतिवादी सख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 6/अपीलांट के पिता छोगाराम के नाम पर पूरी जमीन दर्ज हो गई, क्योंकि बेनाराम व छोगाराम घर पर बड़े थे व घर का पूरा कामकाज संभालते थे। इस कारण रेकार्ड में उनका नाम दर्ज हो गया व उनकी फौतगी के बाद अनके लड़के अपीलांट गोबरिया के नाम दर्ज हो गया। जिसका पता वादी को नहीं चला। वक्त सेटलमेंट से वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से के अनुसार कब्जा-काश्त करते आ रहे हैं, मौके पर प्रतिवादी द्वारा कभी दखल नहीं किया गया। जिससे उक्त तथ्य की जानकारी वादी को नहीं हो सकी। उक्तानुसार वादी द्वारा 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दर्ज होने के बाद अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही प्रतिवादी सख्या 6/अपीलांट द्वारा किसी कोई राजीनामा पर हस्ताक्षर किये गये और ना ही किसी तरह से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी।

जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी के एकतरफा साक्ष्य लिया जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.1991 को विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट संख्या 01 से 06 व 15 व अन्य का कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग व रहवासी ढाणी, मकान, टांके इत्यादि बने हुए का गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर मौका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की गलत तरीकें से तामिल बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरीत जाकर अंतिम निर्णय दिनांक 07.08.1991 पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबावदावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा खाखरलाई तहसील सिवाना में खसरा संख्या 107 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है। जिसमें अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का संयुक्त हक–हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी/रेस्पो. द्वारा वाद पत्र अनुसार बंटवारा करवाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03 (वादीगण) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया था, जिसको आधार बनाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवदीगण एवं अपीलांट द्वारा राजीनामा पेश करने के बाद अपीलांट की मंशा बदल जाने के बाद अपने वादे से मुकर गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो काफी वर्षों से गुजरात राज्य में मिठाई की दुकान पर मजदूरी करता था। इसलिए अपीलांट द्वारा कभी राजस्व रेकार्ड नहीं देखा गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए। उपस्थिति होकर प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिस आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। राजीनामा पेश करने के बाद प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जानबूझकर न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं मियाद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना—पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार **By Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त सम्स्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/1991 बउनवान चौथाराम बनाम हकमाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.1991 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.08.1991 विधि विरूद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

26/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर